



पत्र क्र./बजट/वि.स./प्रा.स./22-12/2025-26/2606 रायपुर दिनांक 07/08/2025

प्रति,

संचालक,  
लोक शिक्षण संचालनालय  
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

**विषय** - प्राक्कलन समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग (एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर) के विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के आय-व्यय के प्राक्कलन प्रेषण बाबत।

**संदर्भ** - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 7740/वि.स./प्रा.स./2025 रायपुर दिनांक 02.06.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राक्कलन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी निम्नलिखित है -

1. विभाग का संगठन और उससे संलग्न तथा उसके अधीन कार्यालय, सक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों द्वारा पुष्टि करते हुए जानकारी नक्शे के रूप में बतलाई जाये, - संलग्न है।
2. विभाग और उससे संलग्न तथा उसके अधीन कार्यालयों के कार्य, - संलग्न है।
3. स्थूल ब्यौरे जिन पर प्राक्कलन आधारित हो, - बजट आबंटन पर आधारित है।
4. विभाग और उससे संलग्न तथा उसके अधीन कार्यालयों में प्राक्कलनों की अवधि के दौरान कार्य की मात्रा तथा तुलना हेतु गत 03 वर्षों के तद्विषयक अंक देते हुए, - संलग्न है।
5. वे योजनाएँ अथवा परियोजनाएँ जो विभाग द्वारा हाथ में ली गई हों (योजना का नाम और ब्यौरे, व्यय का प्राक्कलन, वह अवधि जिसके भीतर उसके पूर्ण होने की संभावना हो, प्राप्ति, यदि हुई हो आद्यावति प्रगति दी जानी चाहिये) - निरंक है।
6. पूर्ववर्ती 03 वर्षों के दौरान प्राक्कलनों के प्रत्येक उपशीर्षक के नीचे किया गया वास्तविक व्यय, - जानकारी संलग्न है।
7. गत वर्षों के वास्तविक आंकड़े और चालू प्राक्कलनों में यदि कोई विभिन्नता हो, तो उसके कारण, - कोई विभिन्नता नहीं है।
8. विभाग द्वारा अपने कार्य संबंध जारी किये गये प्रतिवेदन, यदि हों, - प्रशासकीय प्रतिवेदन में संलग्न है।
9. कोई अन्य जानकारी जिसे समिति मंगावे अथवा जिसे देना विभाग आवश्यक अथवा उचित समझे - निरंक है।



उप संचालक (वित्त)  
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

ये योजनाएँ अथवा परियोजनाएँ जो विभाग द्वारा हाथ में ली गईं हो (योजना का नाम और ब्योरे, व्यय का प्राक्कलन)

राशि लाख में

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर छ.ग.

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25					
			आबंटन	वितरण	व्यय	बचत	आबंटन	वितरण	व्यय	बचत	आबंटन	वितरण	व्यय	बचत
1	2202	6956	8200000	6130000	4986000	3214000	8200000	6762537	2821969	5378031	7550000	7350000	5734199	1815801
2		3024	33430000	26783000	25425000	8005000	37430000	30464845	26104587	11325413	41407000	32364000	29914063	11492937
3		5708	3000000	3000000	2346000	654000	3000000	2968000	1999487	1000513	3000000	2929340	1554641	1445359
4		8646	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0
5		8647	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0
6		1502	190010000	130600000	108460000	81550000	360010000	341555000	352595000	7415000	438020000	369938000	347650031	90369969
7		7673	320000	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0
8		4402	111990000	89630300	82696000	29294000	126070000	100636200	89163093	36906907	139668000	104980800	93083674	46584326
9		3694	77890000	65570000	52534000	25356000	86690000	86690000	55917008	30772992	95269000	95269000	63940588	31328412
10		5569	24850000	21364000	18533000	6317000	27560000	27560000	22638300	4921700	32242000	32242000	24256782	7985218
11		67	7950000	4261500	4217000	3733000	8850000	2235000	4822315	4027685	9750000	5915000	5091599	4658401
12		6744	3890000	3890000	1233000	2657000	3980000	3980000	1080053	2899947	2600000	2600000	1485879	1114121
13		7259	220000	0	0	220000	110000	0	0	110000	0	0	0	0
14		6400	50000000	20000000	2158000	47842000	20000000	20000000	1527625	18472375	10000000	10000000	104936	9895064
15		6796	4000000	3551797	2363000	1637000	5000000	5000000	4803276	196724	5000000	4000000	4020000	980000
16		6690	0	0	0	0	10000000	0	0	10000000	5000000	5000000	0	5000000
17		3694	0	0	0	0	650000	650000	0	650000	650000	650000	650000	0
18			515770000	374780597	304951000	210819000	697570000	628501582	563472713	134097287	790156000	668238140	577486392	212669608
		योग -												

उप संचालक (वित्त)


एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

एस.सी.ई.आर.टी. के अधीन संचालित राज्य बजट के योजनाओं का विवरण

स.क्र.	योजना कोड	योजना का नाम	Brief Description
1	0067	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान	Training expenditure for elementary school teachers and SCERT Salary and Office Expenses
2	6956	प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	Mainly Training expenditure for elementary school teachers. Scheme is merged with Scheme 0067.
3	5708	योग प्रशिक्षण	Training on Yoga (Master Trainers)
4	3694	एस.सी.ई.आर.टी.	SCERT Salary and Office Expenses
5	5569	सीमेट का गठन	SCERT Salary and Office Expenses
6	6744	एजुसेट कार्यक्रम	Edusat SIT Centers and Conent Creation, Training
7	6400	ई-लर्निंग	Development of E-larning Through EduSat Section. Scheme is merged with Edusat Scheme.
8	1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	Only Salary is paid other expenditure is through Samagra Shiksha. DIET Salary-reimbursement, Office Expenditure, Equipments, New DIET Building etc.
9	6796	राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन	for conduct of NTSE/ NMMSE Exam. Exam is handed over to CGBSE from 2024-25
10	4402	शिक्षा महाविद्यालय	CTE Raipur and IASE Bilaspur, B.Ed. College Kanker. Salary and office expenditures
11	3024	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान	Basic Training Institute (D.El.Ed. Course). BTI Bilaspur and Dongargaon. Salary and office expenditures.
12	3694	एस.सी.ई.आर.टी.- DECREE	Payment for Decree
13	3694	पूजी अनुभाग वाहन क्रय	Purchase of Vehicle on Replacement basis
14	6690	NATIONAL TEACHER TRAINING INSTITUTE	Token
<b>योग</b>			

*S*  
Deputy Director (Fin.)  
S.C.E.R.T.RAIPUR

# प्रशासनिक संरचना



*[Signature]*  
Deputy Director (Fin.)  
S.C.E.R.T.RAIPUR

**राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़**

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास ।
- संस्थाओं को शैक्षिक दृष्टि से सक्षम बनाना ।
- शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु समर्थ बनाना ।
- शैक्षिक नवाचार के माध्यम से शिक्षण में नवीनता लाना ।

**राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, छत्तीसगढ़ एवं अधीनस्थ संस्थाओं के कार्य**

- प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक एवं स्थानीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री तैयार करना ।
- शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।
- शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना ।
- विद्यालय और शिक्षकों को परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
- राज्य में शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना ।
- शोध नवाचार से शैक्षणिक पद्धति और आकलन में सुधार करना ।
- डी.एल.एड. पाठ्यक्रम तैयार करना ।
- समग्र शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहयोग करना ।

  
Deputy Director (Fin.)  
S.C.E.R.T. RAIPUR



पत्र क्र./बजट/वि.स./प्रा.स./22-12/2025-26/ 3417

रायपुर दिनांक ...। 6.10.2025

प्रति,

संचालक,  
लोक शिक्षण संचालनालय  
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

विषय – प्राक्कलन समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग (एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर) के विगत 03 वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के आय-व्यय के प्राक्कलन प्रेषण बाबत।

संदर्भ – (1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 7740/वि.स./प्रा.स./2025 रायपुर दिनांक 02.06.2025

(2) लोक शिक्षण संचालनालय छग. का पत्र क्रमांक/वि.स./अ/2025/104 रायपुर दिनांक 10.10.2025

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार विधान सभा प्राक्कलन समिति को प्रस्तुत की बैठक में मौखिक साक्ष्य के दौरान दिये गये निर्देश दिनांक 08.10.2025 के अनुसार एस.सी.ई.आर.टी. से संबंधित जानकारी 30 प्रतियों में जमा की जा रही है।

  
उप संचालक (वित्त)  
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

## 1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, के कार्य एवं उद्देश्य

राज्य की शालाओं एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार करने हेतु एस. सी.ई.आर.टी. एक अकादमिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए अधीनस्थ संस्थानों, जैसे:- उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE), बिलासपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (CTE), रायपुर, शिक्षा महाविद्यालय कांकेर, 19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) एवं 02 बुनियादी प्रशिक्षण संस्था (BTI) से सहयोग लेता है। इनके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) (State Institute of Educational Management & Training) तथा अंग्रेजी भाषा में अध्ययन-अध्यापन में सुधार हेतु आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (English Language Teaching Institute) एवं जिला बिलासपुर आंग्ल भाषा केन्द्र (District Centre for English) के माध्यम से कार्य संपादन करती है। परिषद्, राज्य शासन के यथानिर्देश, MHRD की 2012 की मार्गदर्शिका Guidelines for Implementation, June 2012 (MHRD) के दिशा-निर्देशों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के शालाओं में शिक्षा से संबंधित समस्त अकादमिक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है।

### राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उद्देश्य :

- प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
- सभी शैक्षिक अमलों हेतु सेवाकालीन एवं विस्तार कार्यक्रम की कार्य योजना बनाना एवं क्रियान्वयन।
- विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों से सहयोग, पाठ्यपुस्तक निगम, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, संस्कृत विद्यामण्डलम, मदरसा बोर्ड समग्र शिक्षा जैसी विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं एवं समितियों से समन्वय स्थापित करना।
- पाठ्यचर्या, अनुदेशिका, पाठ्यपुस्तक, परिशिष्टि का निर्माण एवं शोध नवाचार का दायित्व।
- राज्य स्रोत संस्थाओं, राज्य के शैक्षिक संस्थाओं को मार्गदर्शन एवं सभी चरणों पर अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
- स्कूल शिक्षा के अकादमिक विषयों के संबंध में समन्वयन एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से सहयोग एवं पर्यवेक्षण।
- जिला एवं उसके अधीनस्थ अन्य स्तरों पर सहयोग एवं पर्यवेक्षण करना।
- एन.सी.ई.आर.टी., एन.सी.टी.ई., आर.आई., सी.सी.आर.टी. एवं 'न्यूपा' के द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले राज्य के अध्ययन, सर्वेक्षण विज्ञान प्रदर्शनी एवं अन्य गतिविधियों में सहयोग करना।
- स्कूल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में राज्य शासन को नीति-निर्धारण हेतु परामर्श एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

- स्कूल शिक्षा हेतु राज्य पाठ्यचर्या का निर्माण।
- प्रारंभिक शिक्षक-शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत अकादमिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

**राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (State Council of Educational Research and Training - SCERT) के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:**

- 1. पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development):**
  - राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण एवं संशोधन।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार पाठ्यचर्या का परिष्करण।
- 2. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training):**
  - प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के लिए इन-सर्विस और प्री-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
  - NISHTHA जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर लागू करना।
- 3. शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research):**
  - शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध करना जैसे- अधिगम स्तर, शिक्षक दक्षता, मूल्यांकन प्रणाली आदि।
  - नीतिगत सुधार हेतु अनुशंसाएँ देना।
- 4. शैक्षिक नवाचार (Educational Innovation):**
  - नवीन शैक्षिक तकनीकों और शिक्षण विधियों को विकसित करना और उन्हें लागू करना।
  - ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का प्रयोग बढ़ावा देना।
- 5. शैक्षिक सामग्री विकास (Development of Learning Materials):**
  - पूरक अध्ययन सामग्री, कार्यपुस्तिकाएँ, शिक्षण सामग्री आदि का निर्माण।
  - विविध माध्यमों (मुद्रित, डिजिटल, रेडियो, टीवी) से सामग्री का प्रचार-प्रसार।
- 6. शैक्षिक निगरानी और सहायता (Monitoring and Academic Support):**
  - विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षिक निगरानी और मार्गदर्शन।
  - BRC/CRC/DIET और BED COLLEGE जैसी संस्थाओं को तकनीकी सहयोग देना।
- 7. नीति निर्माण में सहयोग (Policy Support):**
  - राज्य सरकार को शिक्षा नीति निर्माण में तकनीकी एवं परामर्श सहयोग प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय निकायों जैसे NCERT, NIEPA आदि के साथ समन्वय करना।

2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं अधीनस्थ संस्थाओं के स्वीकृत सेटअप तथा कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी ।

क्रमांक	संस्था	पद का प्रकार	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	एस.सी.ई.आर.टी. / सीमेट / ई.एल.टी.आई.	अकादमिक	44	33	11
		कार्यालयीन	59	16	28
<b>योग</b>			<b>103</b>	<b>49</b>	<b>32</b>
2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (19)	अकादमिक	361	232	129
		कार्यालयीन	418	269	149
<b>योग</b>			<b>779</b>	<b>501</b>	<b>278</b>
3	आई.ए.एस.ई. बिलासपुर / सी.टी.ई. रायपुर / बी.एड. कालेज कांकेर	अकादमिक	70	56	14
		कार्यालयीन	50	22	28
<b>योग</b>			<b>120</b>	<b>78</b>	<b>42</b>
4	बी.टी.आई. बिलासपुर / बी.टी.आई. डोंगरगांव	अकादमिक	22	20	2
		कार्यालयीन	14	6	8
<b>योग</b>			<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>

3. अधिकारी / कर्मचारी की नियुक्ति / भर्ती संबंधी नियमावली / निर्देश की छायाप्रति सलग्न है ।

4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संचालक शासकीय पदाधिकारी होते हैं ।

5. संस्था के अधीनस्थ जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संचालित कार्यालय की जानकारी उनके कार्य का विवरण :

क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम
1	डाईट अम्बिकापुर	2	बस्तर	3	बेमेतरा
4	धरमजयगढ़	5	जांजगीर चांपा	6	जशपुर
7	कांकेर	8	खैरागढ़	9	महासमुंद
10	नगरी	11	पेंड्रा	12	रायपुर
13	दंतेवाडा	14	कोरबा	15	कोरिया
16	कबीरधाम	17	दुर्ग	18	बीजापुर
19	नारायणपुर	20	बी.टी.आई. बिलासपुर	21	बी.टी.आई. डोंगरगाँव
22	शिक्षा महाविद्यालय रायपुर	23	शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	24	शिक्षा महाविद्यालय कांकेर

**शिक्षा महाविद्यालय (College of Education)** का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित और गुणात्मक रूप से सक्षम शिक्षकों का निर्माण करना होता है। ये संस्थान शिक्षण के व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे B.Ed (Bachelor of Education), M.Ed (Master of Education).

**शिक्षा महाविद्यालय के प्रमुख कार्य:**

**1. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Education)**

- माध्यमिक (B.Ed) और उच्च माध्यमिक (M.Ed) स्तर के शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा आदि पर गहन प्रशिक्षण देना।

**2. शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research)**

- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शोध करना जैसे-
  - शिक्षण विधियों का प्रभाव
  - छात्रों की सीखने की क्षमता
- स्नातकोत्तर (M.Ed) स्तर पर शैक्षिक शोध प्रबंधों का संचालन।

**3. प्रायोगिक शिक्षण (Practice Teaching / Internship)**

- प्रशिक्षु शिक्षकों को वास्तविक विद्यालयों में "प्रशिक्षण शिक्षण" (Teaching Practice) के लिए भेजना।

- शिक्षण कौशल जैसे पाठ योजना, संवाद कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग आदि का व्यावहारिक अभ्यास कराना।

#### 4. शिक्षण सामग्री और संसाधन विकास (Resource Development)

- शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ योजनाएँ, प्रश्न बैंक आदि का निर्माण।
- स्मार्ट क्लास, डिजिटल टूल्स और ICT आधारित शिक्षण विधियों का विकास एवं उपयोग।

### जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET - District Institute of Education and Training)

का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

#### DIET के प्रमुख कार्य:

##### 1. प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण (Teacher Training)

- पूर्व-सेवा प्रशिक्षण (Pre-service):
  - D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का दो वर्षीय प्रशिक्षण।
- सेवारत प्रशिक्षण (In-service):
  - कार्यरत शिक्षकों के लिए नवीन शैक्षिक नीतियों, शिक्षण विधियों, ICT, समावेशी शिक्षा, FLN आदि विषयों पर नियमित प्रशिक्षण।

##### 2. शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार (Research and Innovation)

- स्थानीय शिक्षा संबंधी समस्याओं की पहचान और समाधान हेतु लघु अनुसंधान कार्य।
- नवीन शिक्षण विधियों और नवाचारों को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें विद्यालयों में लागू कराना।

##### 3. विद्यालयों को शैक्षिक सहायता (Academic Support to Schools)

- BRC (Block Resource Centre) और CRC (Cluster Resource Centre) के माध्यम से विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना।
- शिक्षकों की कक्षा-शिक्षण में सहायता करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

##### 4. शैक्षिक सामग्री का विकास (Development of TLM and Resources)

- शिक्षक-अभिप्रेरित शिक्षण सामग्री (TLM – Teaching Learning Material), कार्यपुस्तिका, प्रश्न बैंक, मूल्यांकन उपकरण आदि का निर्माण।
- राज्य/राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (SCERT/NCERT) के साथ समन्वय करके सामग्री विकसित करना।

##### 5. मूल्यांकन और निगरानी (Monitoring & Evaluation)

- स्कूलों में अधिगम स्तर, पाठ्यपुस्तक उपयोग, शिक्षण पद्धतियों आदि की निगरानी।

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- 6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT in Education)**
- शिक्षकों और छात्रों को ICT के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना।
  - स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना।
- 7. FLN एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन**
- NIPUN भारत, समग्र शिक्षा अभियान, NEP-2020, बालवाटिका, शिक्षक पर्व आदि के जिला स्तरीय क्रियान्वयन में भागीदारी।
  - DIKSHA, NISHTHA, जैसे पोर्टलों का प्रचार-प्रसार

**बी.टी.आई .(बेसिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) :**

मुख्य कार्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत डी..एल.एड. पाठ्यक्रम का संचालन करना है ।

6. संस्था द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी, किन विशेषज्ञों के द्वारा किन-किन कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

निम्न विशेषज्ञों के द्वारा सहायक शिक्षकों, शिक्षकों, प्रधान पाठकों, व्याख्याताओं, प्राचार्यों, सहायक संचालकों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- विशेषज्ञ (स्रोत व्यक्ति) के रूप में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु अनुभवी शिक्षकों, व्याख्याताओं तथा एससीईआरटी से सेवानिवृत्त सहायक प्रध्यापकों को आमंत्रित किया जाता है। व्याख्याताओं के प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों से अनुभवी प्राचार्यों एवं अनुभवी व्याख्याताओं को स्रोत व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया जाता है, साथ ही महाविद्यालय से प्रोफेसर /असिस्टेंट प्रोफेसर को स्रोत व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है ।

### राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रशिक्षणों की जानकारी

#### Functional Literacy and Numeracy

(Rs. In Lakhs)						
Year of Approval by PAB	Name of the Training	Approved No of Teachers (Physical)	Approved Unit Cost	Approved Budget	Expenditure in Rs.	Physical Progress as on 31.03.2025 (No of Teachers)
2022-23	Capacity Building of Teachers of Grade 1 to V (New) FLN	31365	1000	313.65	265.23	31365 (We have trained 69872 teachers of primary teachers class I-V at CRC level)
2023-24	Capacity Building of Teachers of Grade 1 to V (New) FLN (ORIENTATION IN BLENDED MODE 03 DAYS FLN	79843	900	718.587	110.24	18251 Primary Teachers were trained. Target could not be achieved due to Moral Code of Conduct.
2024-25	Capacity Building of Teachers of Grade 1 to V (New) FLN (ORIENTATION IN BLENDED MODE 03 DAYS FLN	30477	900	914.31	703.14	30477 (We have trained 69753 teachers of primary teachers class I-V at CRC level)

**In-Service Teachers (Govt +Aided) Class VI-VIII**

Year of Approval by PAB	Name of Training	Approved for No of Teachers (Physical)	Approved Unit Cost per Teacher	Approved Budget (in lakh)	Expenditure	Physical Progress (No. of teachers)
2022-23	In-Service Teachers (Govt +Aided) Class I- VI	-	-	-	-	It is approved under FLN as Capacity Building of Teachers
	In-Service Teachers (Govt +Aided) Class VI-VIII	-	-	-	-	NOT Sanctioned
2023-24	In-Service Teachers (Govt +Aided) Class I- VI	-	-	-	-	It is approved under FLN as Capacity Building of Teachers
	In-Service Teachers (Govt) Class VI-VIII	23927	@3000	717.81	220.89	8303 (3200 Upper Primary Teachers at State Level and 5103 Teachers at DIETs.
	In-Service Teachers (Aided Schools) Class VI-VIII	566	@3000	16.98	-	Training was not conducted for Aided Schools Teachers
2024-25	In-Service Teachers (Govt +Aided) Class I- VI	-	-	-	-	It is approved under FLN as Capacity Building of Teachers
	In-Service Teachers (Govt) Class VI-VIII	23325	@1500	349.88	235.09	19991 Teachers

**In-Service Training Secondary (Language IX - XII)**

Year of Approval by PAB	Name of Training	Approved for No of Teachers (Physical)	Approved Unit Cost per Teacher	Approved Budget (in lakh)	Expenditure (in lakh)	Physical Progress (No. of teachers)
2022-23	In-Service Teachers (Govt Schools) Class IX to XII	39,634	@1000	403.55	158.16	4513 (2339 Lectures and 2174 Upper Primary Teachers were Trained)
2022-23	In-Service Teachers (Aided) Class IX to XII	701	@1000	7.01	-	Training was not conducted for Aided Schools Teachers
2023-24	In-Service Teachers (Govt) Class VI-VIII	23927	@3000	717.81	220.89	<b>3200 Upper Primary Teachers were trained at DIETs.</b>
2023-24	In-Service Teachers (Aided Schools) Class VI-VIII	566	@3000	16.98	-	Training was not conducted for Aided Schools Teachers
2023-24	Teachers Class IX to XII (Government Schools)	23761	@3000	712.83	9.33	<b>305 (Master Trainers) were trained.</b>
2023-24	Teachers Class IX to XII (Government Aided Schools)	708	@3000	21.24	-	Training was not conducted for Aided Schools Teachers
2024-25	Teachers Class IX to XII (Government Schools)	20876	@1500	313.143	185.39	14864 Lecturers (Secondary School Teachers were Trained)

7. संस्था की आय व्यय की जानकारी | संस्था को प्राप्त राज्यांश / केन्द्रांश की मदवार आय एवं व्यय की जानकारी |

राज्य बजट की जानकारी :-

वर्ष 2022-23

(राशि रू. में)

क्र.	योजना	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2022-23			
				आबंटन	वितरण	व्यय	बचत
1	2202	6956	प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	8200000	6130000	4986000	3214000
2		3024	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ	33430000	26783000	25425000	8005000
3		5708	योग प्रशिक्षण	3000000	3000000	2346000	654000
4		8646	राज्य प्रशिक्षण योजना	10000	0	0	10000
5		8647	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार	10000	0	0	10000
6		1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	190010000	130600000	108460000	81550000
7		7673	विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान	320000	0	0	320000
8		4402	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	111990000	89630300	82696000	29294000
9		3694	एस.सी.ई.आर.टी.	77890000	65570000	52534000	25356000
10		5569	सीमेट का गठन	24850000	21364000	18533000	6317000
11		67	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान	7950000	4261500	4217000	3733000
12		6744	एजुसेट कार्यक्रम	3890000	3890000	1233000	2657000
13		7259	शैक्षिक विकास हेतु सहायता (0701)	220000	0	0	220000
14		6400	ई-लर्निंग योजना	50000000	20000000	2158000	47842000
15		6796	राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन	4000000	3551797	2363000	1637000
16		6690	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	0	0	0	0
17		3694	पूँजी अनुभाग वाहन क्रय	0	0	0	0
18			<b>योग -</b>	<b>515770000</b>	<b>374780597</b>	<b>304951000</b>	<b>210819000</b>

वर्ष 2023-24

(राशि रु. में)

क्र.	योजना	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2023-24			
				आबंटन	वितरण	व्यय	बचत
1	2202	6956	प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	8200000	6762537	2821969	5378031
2		3024	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ	37430000	30464845	26104587	11325413
3		5708	योग प्रशिक्षण	3000000	2968000	1999487	1000513
4		8646	राज्य प्रशिक्षण योजना	10000	0	0	10000
5		8647	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार	10000	0	0	10000
6		1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	360010000	341555000	352595000	7415000
7		7673	विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान	0	0	0	0
8		4402	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	126070000	100636200	89163093	36906907
9		3694	एस.सी.ई.आर.टी.	86690000	86690000	55917008	30772992
10		5569	सीमेट का गठन	27560000	27560000	22638300	4921700
11		67	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान	8850000	2235000	4822315	4027685
12		6744	एजुसेट कार्यक्रम	3980000	3980000	1080053	2899947
13		7259	शैक्षिक विकास हेतु सहायता (0701)	110000	0	0	110000
14		6400	ई-लर्निंग योजना	20000000	20000000	1527625	18472375
15		6796	राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन	5000000	5000000	4803276	196724
16		6690	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	10000000	0	0	10000000
17		3694	पूँजी अनुभाग वाहन क्रय	650000	650000	0	650000
18			<b>योग -</b>	<b>697570000</b>	<b>628501582</b>	<b>563472713</b>	<b>134097287</b>

वर्ष 2023-24

(राशि रू. में)

क्र.	योजना	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2024-25			
				आबंटन	वितरण	व्यय	बचत
1	2202	6956	प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा	7550000	7350000	5734199	1815801
2		3024	बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ	41407000	32364000	29914063	11492937
3		5708	योग प्रशिक्षण	3000000	2929340	1554641	1445359
4		8646	राज्य प्रशिक्षण योजना	0	0	0	0
5		8647	विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार	0	0	0	0
6		1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	438020000	369938000	347650031	90369969
7		7673	विकासखण्ड शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान	0	0	0	0
8		4402	सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	139668000	104980800	93083674	46584326
9		3694	एस.सी.ई.आर.टी.	95269000	95269000	63940588	31328412
10		5569	सीमेट का गठन	32242000	32242000	24256782	7985218
11		67	अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान	9750000	5915000	5091599	4658401
12		6744	एजुसेट कार्यक्रम	2600000	2600000	1485879	1114121
13		7259	शैक्षिक विकास हेतु सहायता (0701)	0	0	0	0
14		6400	ई-लर्निंग योजना	10000000	10000000	104936	9895064
15		6796	राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन	5000000	4000000	4020000	980000
16		6690	राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	5000000	0	0	5000000
17		3694	पूजी अनुभाग वाहन क्रय	650000	650000	650000	0
18			<b>योग -</b>	<b>790156000</b>	<b>668238140</b>	<b>577486392</b>	<b>212669608</b>

केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा हेतु व्यय विवरण सहित प्राप्त राज्यांश / केन्द्रांश की जानकारी :-

TEACHER EDUCATION: RELEASE and EXPENDITURE (NON-RECURRING) 2022-23 TO 2024-25							
Amount in Lakh							
SNO	Year	Opening Balance	Central share	State share	Total	Total Expenditure	Balance
1	2022-23	0.85	241.92	161.28	404.05	0.00	404.05
2	2023-24	404.05	1238.54	825.7	2468.29	208.03	2260.26
3	2024-25	2260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2260.26

TEACHER EDUCATION: RELEASE and EXPENDITURE (RECURRING) 2022-23 TO 2024-25									
Amount in Lakh									
SNO	DESCRIPTION	Opening Balance	Central share	State share	Total	Int. and other	Grand Total	Total Expenditure	Balance
4	2022-23	658.78	893.47	595.65	1489.12	1	2148.90	1632.00	516.90
5	2023-24	516.90	894.78	596.52	1491.30	0	2008.20	2007.30	0.90
6	2024-25	0.90	1232.11	821.41	2053.52	0	2054.42	1822.00	232.42
Closing Balance 2024-25 As on 31.03.2025									232.42

8.1 एस.सी.ई.आर.टी. अंतर्गत संचालित बी.एड. कॉलेज, उन्नत शिक्षण संस्थान, डाईट, बाईट, बी.टी.आई. के स्थापना के क्या उद्देश्य है? कितनी क्षमता के हैं, कौन सा पाठ्यक्रम कब से संचालित है, वर्तमान में इनकी क्या उपयोगिता है।

एस.सी.ई.आर.टी. अंतर्गत संचालित बी.एड. कॉलेज, उन्नत शिक्षण संस्थान, डाईट, बाईट, बी.टी.आई. के स्थापना के उद्देश्य :-

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि ऐसे सक्षम, संवेदनशील, तकनीकी रूप से प्रवीण और नवाचारी शिक्षक तैयार करना है जो विद्यार्थियों में सीखने का आनंद और जीवन कौशल विकसित कर सकें।

### मुख्य उद्देश्य

1. **उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करना**
  - आधुनिक शिक्षाशास्त्र, जीवन कौशल और नई शिक्षण पद्धतियों में दक्ष शिक्षक तैयार करना।
  - विषय विशेषज्ञता के साथ-साथ शिक्षकों में 21वीं सदी के कौशल (Critical Thinking, Creativity, Communication, Collaboration) विकसित करना।
2. **समग्र एवं बहुआयामी शिक्षक शिक्षा**
  - शिक्षा को केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि मूल्य आधारित, कौशल आधारित और अनुभव आधारित बनाने के लिए समग्र प्रशिक्षण।
  - मनोविज्ञान, तकनीक, समावेशी शिक्षा और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
3. **प्रशिक्षण को व्यावहारिक और विद्यालय-आधारित बनाना**
  - "School Internship" और "On-Field Training" को सुदृढ़ करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक बनाना।
4. **निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD)**
  - शिक्षकों को नियुक्ति के बाद भी नियमित रूप से प्रशिक्षण, कार्यशाला और डिजिटल कोर्सेज के माध्यम से अद्यतन रखना।
5. **शिक्षक शिक्षा में तकनीक का समावेशन**
  - DIKSHA, SWAYAM, SATHEE, और अन्य ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
6. **अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना**
  - TTIs को शिक्षा अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करना ताकि नई शिक्षण रणनीतियाँ और शिक्षण मॉडल तैयार हो सकें।
7. **राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता आश्वासन**
  - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक समान राष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंड (NCTE, NCERT और SCERT के माध्यम से) लागू करना।

8. स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित प्रशिक्षण

- स्थानीय आवश्यकताओं, क्षेत्रीय भाषाओं और सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल करना।

वर्तमान में इनकी क्या उपयोगिता :-

- NCTE (National Council for Teacher Education) द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाती है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं में अध्यापन हेतु D. El. Ed. पाठ्यक्रम तथा कक्षा 6-12 तक के लिए B.Ed. पाठ्यक्रम अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है | यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें किसी भी विधायवस्तु का अध्यापन कराने के तरीके सिखाये जाते हैं |
- RTE 2009 के तहत सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है |

छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध संस्थाओं एवं क्षमता की जानकारी

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	कुल संस्थाएँ	शासकीय संस्थाएँ	कुल सीटों की संख्या	प्रवेशित (2024-25)
1	डी.एल.एड.	87	18	6660	6602
2	बी.एड.	146	4	14500	14232
3	एम.एड.	21	2	1050	710
4	बी.एस.सी. बी.एड.	2	0	150	145
5	बी.ए. बी.एड.	2	0	100	85

8.2 एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में किन कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है, विशेषज्ञ कौन हैं, पाठ्यक्रम से प्राप्त लाभांश का उपयोग कैसे करते हैं, नियम निर्देश सहित जानकारी |

एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 10 तक के कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है |

पाठ्यक्रम / पाठ्यपुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया निम्न है :-

प्रक्रिया / गतिविधि	हितधारक / कार्य समूह सदस्य
SCF SE की समीक्षा एवं अंतिम स्वरूप देना	NCERT विशेषज्ञ, विषय समन्वयक, विषय समूह सदस्य
SCFFS एवं SCFSE के अनुमोदन हेतु स्टेरिंग कमिटी की बैठक	स्टेरिंग कमिटी - अध्यक्ष एवं सदस्य
विषय विशेषज्ञ समूह का गठन	स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विभागाध्यक्ष, उच्च शिक्षा अनर्गत चयनित निजी एवं शासकीय विषयाविद्यालयों के कुलसचिव, चयनित एनजीओ, संचालक आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ
विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण (राज्य /राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों के साथ )	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
राज्य के शहरी, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों के चयनित संकुल के शालाओं में क्षेत्र परीक्षण हेतु चिंहांकन I	उक्त क्षेत्रों के चिन्हंकित शालाए
पाठ्य पुस्तकों के लेखन (प्रथम ड्राफ्ट) हेतु कार्यशाला में संकलित सामग्री की समीक्षा एवं विषय वास्तु का अंतिम निर्धारण	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
विषय सामग्री के आधार पर अभ्यास प्रश्नों का निर्माण	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
पाठ्य पुस्तकों के लेखन हेतु इलस्ट्रेशन, ग्राफिक, डिजाईन एवं प्रूफ रीडिंग पाठ्यपुस्तक प्राथमिक स्तर	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक

विषय सामग्री के आधार पर अभ्यास प्रश्नों की समीक्षा एवं संशोधन	पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नंकित शिक्षक एवं टयापिस्ट तथा डिजाइनर
राष्ट्रीय - राज्य स्तर के विषय विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करना (समीक्षा बैठक)	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नंकित शिक्षक
पाठ्यपुस्तक का अंतिम स्वरूप दिया जाना	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नंकित शिक्षक
शिक्षा स्थायी समिति से अनुमोदन उपरांत आवश्यक संशोधन	शिक्षा स्थाई समिति के सदस्य, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नंकित शिक्षक
संशोधन उपरांत पाठ्यपुस्तक के अंतिम ड्राफ्ट की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी का NCERT को अनुमोदन प्रेषित एवं NCERT से प्राप्त संशोधन उपरांत पाठ्यपुस्तकों का राज्य शिक्षा स्थायी समिति से अनुमोदन	शिक्षा स्थाई समिति के सदस्य, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नंकित शिक्षक
पाठ्यपुस्तक के अंतिम ड्राफ्ट की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी तैयार कर छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को मुद्रण हेतु प्रेषित	समन्वयक द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्रदान

पाठ्यक्रम से प्राप्त लाभांश का उपयोग पाठ्यपुस्तकों के विकास, एन.सी.ई.आर.टी. को रायल्टी भुगतान आदि कार्यों में किया जाता है, नियम निर्देश की जानकारी - संलग्न है।

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर

//आदेश//


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/06

क्रमांक एफ 23-21/2014/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मि स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनि (2) के खण्ड (एक) तथा (दो) के उपबंधों के अधीन राज्य शिक्षा स्थायी समिति का निम्नानुसार ग करता है :-

क्र	नाम व पदनाम	समिति हेतु नामित पद का नाम
1	श्री आलोक चक्रवाल, कुलपति, गुरुघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रायपुर	अध्यक्ष
2	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
3	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़	सदस्य
4	मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, रायपुर छत्तीसगढ़	सदस्य
5	डॉ. वासुदेव साहसी, सहा.प्रा. शा.जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
6	डॉ. सुभाष चन्द्राकर, प्राध्या. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
7	श्री मनीष देवांगन, वि.खं. शिक्षा अधिकारी, कार्या. धरसीवा, जिला- रायपुर	सदस्य
8	श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, सहा. शिक्षक, प्राथ. विद्या. सिवनी खुर्द (बोडला), जिला- कबीरधाम	सदस्य
9	श्री मनोज सिंग, शा. शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर	सदस्य
10	श्री दिलीप केसरवानी, पूर्व प्राचार्य कबीर नगर, रायपुर	सदस्य

2/ राज्य शिक्षा स्थायी समिति की अवधि, गठन के दिनांक से तीन वर्ष की होगी।  
(समन्वय में अनुमोदन प्राप्त)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी. वर्मा)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

9. संस्था के अधीनस्थ जिलों में और कार्यालय या संस्थान खोलने की योजना है क्या ?

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीनस्थ निम्न संस्थाये वर्तमान में संचालित है :-

क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम
1	डाईट अम्बिकापुर	2	डाईट बस्तर	3	डाईट बेमेतरा
4	डाईट धरमजयगढ़	5	डाईट जांजगीर चांपा	6	डाईट जशपुर
7	डाईट कांकेर	8	डाईट खैरागढ़	9	डाईट महासमुंद
10	डाईट नगरी	11	डाईट पेंड्रा	12	डाईट रायपुर
13	डाईट दंतेवाड़ा	14	डाईट कोरबा	15	डाईट कोरिया
16	डाईट कबीरधाम	17	डाईट दुर्ग	18	डाईट बीजापुर
19	डाईट नारायणपुर	20	बी.टी.आई. बिलासपुर	21	बी.टी.आई. डोंगरगाँव
22	शिक्षा महाविद्यालय रायपुर	23	शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	24	शिक्षा महाविद्यालय कांकेर

सत्र 2025-26 में निम्न संस्थाओं हेतु पद स्वीकृति एवं संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है :-

क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम
1	डाईट कौडागाँव	2	डाईट सुकमा	3	डाईट कुसुमी (बलरामपुर)
4	डाईट सूरजपुर	5	डाईट गरियाबंद		

सत्र 2025-26 में बी.टी.आई. बिलासपुर एवं बी.टी.आई. डोंगरगाँव का उन्नयन डाईट में किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम	क्र.	संस्था का नाम
1	डाईट बिलासपुर	2	डाईट राजनांदगाँव		

13. नवीन शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा विभाग के कौन-कौन से बिंदु हैं | कौन-कौन से बिंदु स्कूल शिक्षा विभाग में लागू कर दिये गये हैं | कितने बिंदु लागू किये जाने हेतु शेष हैं कब तक लागू कर दिये जायेंगे समय सीमा की जानकारी | एन.ई.पी. के क्रियान्वयन हेतु की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण |

### SCERT की NEP TASKS पर अद्यतन स्थिति

NEP ट्रैकर के माध्यम से NEP कार्यों की स्थिति				
AGENCY	पूर्ण	जारी	प्रारंभ किये जाने हैं	कुल
SCERT	32	47	12	91

### SCERT द्वारा NEP Tasks के संदर्भ में अद्यतन स्थिति

<u>NEP कार्य : पूर्ण (Completed)</u>
राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अपनाना/अनुकूलन
SCF (स्टेट करीकुलर फ्रेमवर्क) का विकास
SCERT द्वारा ECCE के लिए TLM का विकास
SCFECCE का विकास
ECCE पर Position Paper का निर्माण
विभिन्न पहलुओं से संबंधित 25 पोजिशन पेपर्स का विकास
SCERT / DIET / BRC / CRC द्वारा ECCE के लिए प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी निरंतर व्यवसायिक दक्षता का विकास
FLN के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण
SCERT द्वारा FLN के लिए ऑनलाइन / मिश्रित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण
समग्र प्रगति कार्ड का विकास
कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 माह का शाला पूर्व तैयारी मॉड्यूल का विकास
3 महीने के शाला पूर्व तैयारी मॉड्यूल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
DIKSHA पर FLN के लिए ई-सामग्री
बहुभाषावाद पर शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश और संसाधन
SCFSE के विकास के लिए परामर्श कार्यशालाएं
ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कौशल प्राप्ति की निगरानी एवं मार्गदर्शन
प्रत्येक ग्रेड और विषय के लिए सिखने के प्रतिफल पर आधारित कक्षा कार्य सम्पादन के लिए शिक्षक संसाधन का विकास

पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त ग्रेड 1 से 5 के लिए FLN आधारित आकर्षक, आनंददायी और नवीन शिक्षण संसाधन / सामग्री का विकास
सीखने के परिणाम की माप या उपलब्धि से संबंधित कक्षा 1 से 5 के लिए आइटम बैंक का विकास योग्यता आधारित आइटम्स हेतु प्रश्न बैंक का निर्माण
स्कूल में सहजता से सिखने के वातावरण निर्माण हेतु शिक्षकों और प्राचार्यों के लिये क्षमता विकास कार्यक्रम
नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए औपचारिक अधिस्थापन कार्यक्रम (Formal Induction Programme)
दिव्यांग बच्चों के सीखने में सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी एवं प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षकों में विशिष्ट क्षमताओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण
स्कूलों के वैकल्पिक रूपों के शिक्षकों के लिए स्थानीय भाषाओं में अनुकूलित NTSHTA मॉड्यूल विस्तारित किया जाएगा
पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकास समूह का निर्माण
CPD और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अनिवार्य रूप से 50 घंटे के संचालन के लिए एक समग्र (Comprehensive) इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग नीति और इस पर आधारित योजना का निर्माण
बच्चे की मातृभाषा/घरेलू भाषा के शिक्षण के लिए सहायक सामग्री का विकास
ई-सामग्री को दीक्षा पर अपलोड किया जाना
सभी ई-पाठ्यसामग्री की सभी डिजिटल क्षेत्र जैसे टीवी, एप, पोर्टल तथा रेडियो पर उपलब्धता सुनिश्चित करना
Learning Outcomes के Gaps को जानने के लिए छोटे नमूनों में आवधिक अंतराल पर डिपस्टिक अभ्यास का आयोजन
शिक्षक क्षमता निर्माण, सीखने के परिणामों की उपलब्धि में अंतराल पर आधारित
बस्ता रहित दिवस के लिए दिशा-निर्देश

<b>NEP कार्य : जारी (Ongoing)</b>
ECCE के लिए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक शिक्षण सामग्री का विकास
आंगनबाड़ियों कार्यकर्ता / शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता अनुसार ऑनलाइन प्रमाणपत्र / ऑनलाइन डिप्लोमा कार्यक्रम का निर्माण।
ECCE शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी कराने और उनके सतत व्यावसायिक विकास (CPD) में सक्षम बनाने के लिए SCERT / DIETs / BRCs / CRCs को सशक्त बनाना
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के लिए पेशेवर योग्य शिक्षकों के कैंडिड की तैयारी
Ministry of Tribal Affairs अंतर्गत मास्टर ट्रेनिंग की क्षमता विकास करना
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) के मिशन मोड में क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की व्यापक क्षमता निर्माण
FLN अंतर्गत स्थानीय भाषा में शिक्षकों के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और अन्य संसाधनों का विकास

शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान (मिश्रित / ऑनलाइन / ऑफलाइन) करने के लिए एक उपदेशक (Mentor) समूह का चिन्हांकन
विशेषकर बच्चे की अपनी मातृभाषा और विद्यालय में अध्यापन के माध्यम के मध्य सेतु तैयार करने के लिए SEDG, SEZ एवं आकांक्षी जिलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना बनाना
FLN के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित की साक्षरता के लिए DIKSHA पर ईकंटेंट तैयार कर अपलोड-करना
ग्रेड के छात्रों के लिए साक्षरता और न्यूमेरसी को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में 3सहपाठी और स्थानीय स्वयंसेवकों के लिए दिशा निर्देश तैयार करना
राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति का विकास, बच्चों में आनंदपूर्ण पठन को बढ़ावा देने के पठन अभियान सबसे तेज़ पाठक प्रतियोगिता / प्रतियोगिता-वर्तनी / प्रतियोगिताओं / की शुरुआत
शाला प्रबंधन समिति (SMC) को FLN लक्ष्य प्राप्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार करने हेतु उन्मुखीकरण ।
NCF पर आधारित SCF तैयार करते समय विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव और लचीलापन प्रदान करने के लिए नवाचारी तरीके तलाशना, अपनाना और सेमेस्टर प्रणाली को सम्मिलित करना।
शिक्षकों हेतु बहुभाषा शिक्षण हेतु मार्गदर्शिका, स्रोत संदर्भ एवं सहायक शिक्षण सामग्री का विकास
भारतीय भाषाओं के अध्यापकों हेतु प्रत्यक्ष प्रशिक्षण एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
घर की भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा को अधिगम का माध्यम बनाने हेतु/ सुव्यवस्थित योजना का निर्माण
भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) के मानकीकृत स्वरूप अंतर्गत सुनने में अक्षम छात्रों के (बधिर) लिए राज्य पाठ्यचर्या सामग्रीका विकास
प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु 'सीखने के रूप में आकलन' व 'सीखने के लिए आकलन' पर ट्रेनिंग मॉड्यूल व हैंडबुक का विकास
आकलन के नार्म्स एवं मानकों के आधार पर स्टेट बोर्ड ऑफ असेसमेंट, एससीईआरटी का उन्मुखीकरण व क्षमता विकास
सभी स्तरों पर परीक्षाओं के बोझ को कम करने के तरीकों और साधनों के लिए योजना का विकास
कक्षा बोर्ड परीक्षाओं के लिए दो स्तरों पर विषयों को प्रस्तुत करने की रणनीति 12 और 10 का विकास
SCERT द्वारा पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को अनुकूलित करना या अपनाना
प्रत्येक ग्रेड और विषय के लिए सिखने के प्रतिफल पर आधारित कक्षा कार्य सम्पादन हेतु शिक्षक संसाधन का विकास
ग्रेड 3, में 8 और 5Census परीक्षा आयोजन के लिए रूपरेखा और दिशा निर्देश विकसित करना
राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों से भूम (एनपीएसटी) का की प्रत्याशा के लिए विशिष्ट रूपरेखा का विकास
CPD और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अनिवार्य रूप से घंटे के संचालन के लिए एक 50 समय (Comprehensive) इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग नीति और इस पर आधारित योजना का निर्माण
अध्यापन के पहलुओं को चुनने के लिए शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु रूपरेखा का निर्माण

माता पिता तथा देखभाल करने वालों के लिए SCERT Online उन्मुखीकरण माइयूल्स का विकास
वंचित और कमजोर समूहों से अलगाव एवं भेदभाव, कलंक जैसे मुद्दों पर शिक्षकों, प्राचार्यों, प्रशासकों परामर्शदाता और छात्रों के लिए Webinar तथा Online कार्यशालाओं का आयोजन
गांव कस्बे क्षेत्र का इतिहास सहित स्कूल के इतिहास को अनुभवात्मक अधिगम गतिविधि के आधार पर MAP करने और लिखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करना।
स्कूलों के सशक्तिकरण और पारदर्शिता, ऑनलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए स्व विनियमन प्रणाली-का निर्माण
CRCs, BRCs और डाईटस के सुदृढीकरण के लिए संस्थावार एक्शन प्लान
स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन रूपरेखा का निर्माण
जिन वर्षों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे आयोजित न हो उस दौरान स्कूल शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए सैंपल आधारित एचीवमेंट सर्वे या स्टेट एचीवमेंट सर्वे का आयोजन
व्यावसायिक शिक्षा के प्रति सामान्य दृष्टिकोण को बदलने के लिए जागरूकता कार्यक्रम
SCF निर्माण उपरांत उपयुक्त पाठ्यक्रम डिजाइन कर स्कूली बच्चों के मध्य स्थानीय कला और शिल्प को प्रोत्साहन
स्कूलों में समस्या आधारित शिक्षण दृष्टिकोण (Problem based Learning approach) को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन संसाधनों का विकास।
व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए लघु पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अधिमानतः ऑनलाइन पाठ्यक्रम की रचना।
कक्षा IX से XII तक के बच्चों को कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन तंत्र का विकास
स्थानीय भाषा में वयस्क शिक्षण सामग्री का विकास
बच्चे की मातृभाषाघरेलू भाषा के शिक्षण के लिए/ सहायक सामग्री का विकास
बच्चों को भारत की विविधता प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति से अवगत कराने के लिए विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन।
समृद्ध भाषा, कला संगीत, स्वदेशी वस्त्र संस्कृति और लोकाचार आदि की ऑनलाइन/खेल/खाद्य/ रिपोजिटरी का निर्माण
राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (SIET) के सुदृढीकरण हेतु कार्य तथा रोडमैप का निर्माण

### कार्य प्रारंभ किया जाना है To be initiated

नई पाठ्यपुस्तकों की मदद से पाठ्यक्रम के प्रत्येक माइयूल के लिए MOOC (Massive Open Online Courses) पाठ्यक्रम का विकास
HPC को SCERT द्वारा ऑनलाइन उपयोग के लिए डिजाइन करना
प्राथमिक और माध्यमिक चरणों में प्रतिभावान बच्चों की पहचान और पोषण के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित रूपरेखा के आधार पर स्थानीय संदर्भ के साथ समान दिशानिर्देश विकसित-करना
प्रतिभावान बच्चों और उनकी पहचान और पोषण की आवश्यकता के संबंध में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना

विभिन्न विषयों डोमेन में माध्यमिक स्कूल के प्रतिभावान छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन आवासीय / कार्यक्रमों जैसे विभिन्न पोषण गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए लघु और दीर्घकालिक कार्यक्रमोंकी रचना एवं कार्यान्वयन
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NPST) को अपनाया जाना
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा SEDG विद्यार्थियों के लिए Online/Offline/Blended ब्रिज कोर्स का निर्माण
विभिन्न तंत्रों के माध्यम से स्कूलों के समूहीकरण की प्रभावशीलता और निहितार्थ का विश्लेषण करने के लिए पायलट अध्ययन तथा निष्कर्षों के आधार पर, कुशल संसाधन साझाकरण के माध्यम से स्कूलों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत रोडमैप और भविष्य की कार्ययोजना पर रिपोर्ट तैयार करना
स्कूलों को सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में उपयोग करने के लिए NCERTद्वारा तैयार किए गए रूपरेखा के आधार पर, स्कूलों की अप्रयुक्त क्षमता के प्रभावी उपयोग के लिए अपने स्वयं के नवीन मॉडल विकसित करना
भारत की बहुभाषिकता के मद्देनजर भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में सहायता करने के लिए- निर्देश-दिशा, पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री-का विकास
उपलब्ध डिजिटल सामग्री के प्रभावी उपयोग हेतु एनडीएल (राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी) से जोड़ना।
आनलाइन शिक्षा की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु पायलट स्टडी

एससीईआरटी की भूमिका, एक राज्य संसाधन संस्थान के रूप में कार्य करना है, जिसमें शामिल हैं:

1. शिक्षा के सभी चरणों में अकादमिक सहायता प्रदान करना,
2. स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी अकादमिक मामलों का समन्वय करना,
3. अन्य शैक्षिक संगठनों के साथ उचित संबंध बनाए रखना
4. जिला और विकासखण्ड स्तर की संस्थाओं को पर्यवेक्षण प्रदान करना।

एससीईआरटी के अन्य प्रमुख कार्यों में पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तकों का विकास, अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करना, राज्य शिक्षा विभाग को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और शिक्षकों सहित सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरक सामग्री प्रदान करना शामिल है।

**एनईपी 2020 के अनुसार एससीईआरटी के प्रमुख कार्य:**

एससीईआरटी राज्य स्तर पर एनईपी 2020 के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियों और पहलों में बदलने के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, एससीईआरटी के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- 1) **पाठ्यक्रम विकास:** एससीईआरटी एनईपी 2020 में उल्लिखित सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ संरेखित राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। एससीईआरटी की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि पाठ्यक्रम एक समग्र और बहु-विषयक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और आवश्यक कौशल को बढ़ावा देता है।

- 2) **शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास:** शिक्षकों को एनईपी 2020 के अनुसार उच्च-गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक विशेषज्ञता, विषय ज्ञान और शिक्षण तकनीक प्रदान करने के लिए, एससीईआरटी को व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए नवीनतम शैक्षिक प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों से अपडेट रहने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- 3) **मूल्यांकन और आकलन:** एनईपी 2020 द्वारा वकालत की गई योग्यता-आधारित शिक्षा के साथ तालमेल बिठाते हुए, एससीईआरटी छात्रों के सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए मजबूत मूल्यांकन ढांचे और उपकरण विकसित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रटने के बजाय वैचारिक समझ, समस्या-समाधान क्षमताओं और व्यावहारिक कौशल का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एससीईआरटी को शैक्षिक हस्तक्षेपों और नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए शोध अध्ययन करने की आवश्यकता होती है।
- 4) **क्षमता निर्माण और सहयोग:** एससीईआरटी स्कूल शिक्षा प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करती है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए संसाधनों, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए, एससीईआरटी साझेदारी और सहयोग को सुविधाजनक बनाएगी और प्रोत्साहित करेगी।
- 5) **अनुसंधान और नवाचार:** एससीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान पहलों का समर्थन करके, शैक्षिक मुद्दों पर अध्ययन आयोजित करके और शिक्षण और सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए नवीन प्रथाओं और हस्तक्षेपों को बढ़ावा देकर शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। इस संबंध में, एससीईआरटी शैक्षणिक संस्थानों, अन्य हितधारकों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जा सके और शिक्षा के सामने आने वाली समस्याओं के लिए अभिनव समाधान विकसित किए जा सकें।

## 16. नव साक्षरों की सतत निगरानी साक्षरता मिशन कैसे करता है।

सतत निगरानी निम्न कारणों से की जाती है


1. यह कार्यक्रम क्रियान्वयन की मजबूती व कमजोरियों की पहचान करता है।
2. बेहतर प्रबंधन एवं अच्छे परिणाम हेतु कार्यक्रम को और सशक्त किया जाता है एवं इसकी कमजोरियों को दूर किया जाता है जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन पर उनका प्रभाव कम किया जा सके।
3. कार्यक्रम क्रियान्वयन में जो कमजोरियां थी उन्हें दूर करने हेतु उपचारात्मक उपायों को लिया जाता है।
4. यदि परियोजना दस्तावेज के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का समय सारिणी के तहत कार्यक्रम लागू किया जाता है तो उसका ध्यान रखना।
5. यह सुनिश्चित करना कि परियोजना दस्तावेज में दिये गये उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है।
6. उच्च अधिकारियों को उपचारात्मक उपायों से निर्णय लेने के लिए फीडबैक प्रदान करना।
7. कार्यक्रम लागू करने वाली संस्था के प्रारंभिक स्तर को आगे की कार्यविधि प्रदान करना, ताकि कार्यक्रम के आवश्यक सुधारों को किया जा सके।
8. अभियान की समस्त गतिविधियों, चरणों से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करना।

नव साक्षरों की सतत निगरानी साक्षरता मिशन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	संचालन के स्तर	कार्यालयीन जिम्मेदारी	प्रबंधन प्राधिकरण
1	ग्राम पंचायत	वरिष्ठ प्रेरक/लोक शिक्षा केन्द्र (अनुदेशकों के इनपुट के साथ)	पंचायत लोक शिक्षा समिति
2	जनपद पंचायत	विकासखण्ड समन्वयक, खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)	विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति
3	जिला पंचायत	जिला अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	जिला लोक शिक्षा समिति
4	राज्य स्तर	प्रौढ़ शिक्षा संचालक, राज्य शासन	राज्य साक्षरता मिशन
5	राष्ट्रीय स्तर	प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय, भारत सरकार	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

<u>प्रभारी</u> डी.पी.ओ. मॉनिटरिंग प्रभारी	<u>नियंत्रण कक्ष</u> जिला लोक शिक्षा	<u>स्तर</u> जिला परियोजना अधिकारी	<u>सहायक समूह</u> मॉनिटरिंग समिति सदस्य
बी.पी.ओ. विकासखण्ड समन्वयक	विकासखण्ड लोक शिक्षा समिति	विकासखण्ड परियोजना अधिकारी	आर. पी. / एम. टी. जनपद पंचायत के प्रतिनिधि
सेक्टर समन्वयक	पंचायत लोक शिक्षा समिति	ग्राम/पंचायत स्तरीय अधिकारी	प्रभारी आर. पी., / एम. टी. पंचायत प्रतिनिधि
प्रेरक ग्राम स्तर	ग्राम लोक शिक्षा समिति	पुस्तकालय संयोजन	व्ही. टी., एम. टी. पुस्तकालय सदस्य

State Council of Educational  
Research & Training, Chhattisgarh  
Shankar Nagar, Raipur



राज्य शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,  
शंकरनगर, रायपुर

Telephone -0771-2443596. Fax-0771-24-43496. Website: www.scert.cg.gov.in. Email: scertcg@gmail.com

परिषद्/विधानसभा प्राकलन/2026/ 1056

रायपुर, दिनांक 16.03. 2026

प्रति,

संचालक

लोक शिक्षण संचालनालय

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय:- प्राककलन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2025 में साक्ष्य से संबंधित आशवासित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

संदर्भ: संचालनालय लोक शिक्षण इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक/147 /ऑडिट/37/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026

-----000-----

विषयान्तर्गत लेख है कि प्राककलन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2025 में साक्ष्य से संबंधित आशवासित जानकारी संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सहायक प्राध्यापक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृष्ठा. परिषद्/विधानसभा प्राकलन/2026/ 1057

रायपुर, दिनांक 16.03. 2026

प्रतिलिपि :-

सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ ।

सहायक प्राध्यापक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

**1. संचालनालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में कितने लोगों का सेटअप है : कितने कार्यरत हैं? पदपूर्ति की नियम एवं प्रक्रिया क्या है : उनमें विशेषज्ञता क्या होनी चाहिए ।**

संचालनालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में 103 पदों का सेटअप है 49 पद भरे हुए हैं एवं 54 पद रिक्त हैं ।

क्रमांक	संस्था	पद का प्रकार	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	एस.सी.ई.आर.टी. / सीमेट / ई.एल.टी.आई.	अकादमिक	44	33	11
		कार्यालयीन	59	16	43
योग			103	49	54

**2. पद पूर्ति के नियम एवं प्रक्रिया एवं विशेषज्ञता की छायाप्रति सलग्न है ।**

**3. प्राचार्य बी. एड. का कार्य क्या है ?**

शिक्षा महाविद्यालय (College of Education) का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित और गुणात्मक रूप से सक्षम शिक्षकों का निर्माण करना होता है। ये संस्थान शिक्षण के व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे B.Ed (Bachelor of Education), M.Ed (Master of Education).

**शिक्षा महाविद्यालय के प्रमुख कार्य:**

**1. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Education)**

- माध्यमिक (B.Ed) और उच्च माध्यमिक (M.Ed) स्तर के शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा आदि पर गहन प्रशिक्षण देना।

**2. शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research)**

- शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु शोध करना जैसे-
  - शिक्षण विधियों का प्रभाव
  - छात्रों की सीखने की क्षमता
- स्नातकोत्तर (M.Ed) स्तर पर शैक्षिक शोध प्रबंधों का संचालन।

### 3. प्रायोगिक शिक्षण (Practice Teaching / Internship)

- प्रशिक्षु शिक्षकों को वास्तविक विद्यालयों में "प्रशिक्षण शिक्षण" (Teaching Practice) के लिए भेजना।
- शिक्षण कौशल जैसे पाठ योजना, संवाद कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग आदि का व्यावहारिक अभ्यास कराना।

### 4. शिक्षण सामग्री और संसाधन विकास (Resource Development)

- शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ योजनाएँ, प्रश्न बैंक आदि का निर्माण।
- स्मार्ट क्लास, डिजिटल टूल्स और ICT आधारित शिक्षण विधियों का विकास एवं उपयोग।

4. पाठ्यपुस्तक की रचना कैसे करते हैं तो कौनसी कक्षा तक रचना करते हैं ? कितनी समयावधि में पुस्तक तैयार करते हैं ? विषयवस्तु का परीक्षण किस प्रकार से होती है ? पुस्तक बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ?

एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 10 तक के कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।

पाठ्यक्रम / पाठ्यपुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया निम्न है :-

प्रक्रिया / गतिविधि	हितधारक / कार्य समूह सदस्य
SCF SE की समीक्षा एवं अंतिम स्वरूप देना	NCERT विशेषज्ञ, विषय समन्वयक, विषय समूह सदस्य
SCFFS एवं SCFSE के अनुमोदन हेतु स्टेरिंग कमिटी की बैठक	स्टेरिंग कमिटी - अध्यक्ष एवं सदस्य
विषय विशेषज्ञ समूह का गठन	स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विभागाध्यक्ष, उच्च शिक्षा अंतर्गत चयनित निजी एवं शासकीय विषयाविद्यालयों के कुलसचिव, चयनित एनजीओ, संचालक आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा नामांकित विषय विशेषज्ञ
विषय विशेषज्ञों का उन्मुखीकरण (राज्य / राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों के साथ)	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
राज्य के शहरी, ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों के चयनित संकुल के शालाओं में क्षेत्र परीक्षण हेतु चिंहांकन।	उक्त क्षेत्रों के चिन्हंकित शालाए

पाठ्य पुस्तकों के लेखन (प्रथम ड्राफ्ट) हेतु कार्यशाला में संकलित सामग्री की समीक्षा एवं विषय वास्तु का अंतिम निर्धारण	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
विषय सामग्री के आधार पर अभ्यास प्रश्नों का निर्माण	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
पाठ्य पुस्तकों के लेखन हेतु इलस्ट्रेशन, ग्राफिक, डिजाइन एवं प्रूफ रीडिंग पाठ्यपुस्तक प्राथमिक स्तर	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
विषय सामग्री के आधार पर अभ्यास प्रश्नों की समीक्षा एवं संशोधन	पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिह्नांकित शिक्षक एवं टयापिस्ट तथा डिजाइनर
राष्ट्रीय - राज्य स्तर के विषय विशेषज्ञों से फीडबैक प्राप्त करना (समीक्षा बैठक)	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
पाठ्यपुस्तक का अंतिम स्वरूप दिया जाना	राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
शिक्षा स्थायी समिति से अनुमोदन उपरांत आवश्यक संशोधन	शिक्षा स्थायी समिति के सदस्य, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
संशोधन उपरांत पाठ्यपुस्तक के अंतिम ड्राफ्ट की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी का NCERT को अनुमोदन प्रेषित एवं NCERT से प्राप्त संशोधन उपरांत पाठ्यपुस्तकों का राज्य शिक्षा स्थायी समिति से अनुमोदन	शिक्षा स्थायी समिति के सदस्य, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, SCERT के विषय समन्वयक, पाठ्यपुस्तक लेखन समूह हेतु चिन्हंकित शिक्षक
पाठ्यपुस्तक के अंतिम ड्राफ्ट की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी तैयार कर छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को मुद्रण हेतु प्रेषित	समन्वयक द्वारा छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम को प्रदान

**5. संचालनालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् स्वायत्त संस्था है अथवा विभाग के अधीन है ? पूर्व एवं वर्तमान संचालक शासकीय क्षेत्र से हैं की निजी क्षेत्र से ?**

संचालनालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शासकीय संस्था है, यह स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है | पूर्व एवं वर्तमान संचालक शासकीय क्षेत्र से हैं |

**6. प्रदेश में कुल कितने बी. एड. और एम. एड. महाविद्यालय हैं? कितने शासकीय है और निजी कितने हैं ?**

प्रदेश में कुल 147 बी. एड. और 21 एम. एड. महाविद्यालय हैं? 4 बी. एड. महाविद्यालय शासकीय है, 143 निजी महाविद्यालय हैं | 2 एम. एड. महाविद्यालय शासकीय है, 19 निजी महाविद्यालय हैं |

**7. डाईट की संख्या कितनी है और कौन-कौन से जिले में है? उसके कार्य, उद्देश्य और प्रशिक्षण किस स्तर के लोगों को दी जाती है? इसके सेटअप, रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी ?**

डाईट की संख्या 19 है, जिलेवार विवरण निम्न है :-

क्र.	डाईट का नाम	जिला	क्र.	डाईट का नाम	जिला
1	डाईट अम्बिकापुर	सरगुजा	11	पेंडा	गौरैला पेंडा मरवाही
2	धरमजयगढ़	रायगढ़	12	कोरबा	कोरबा
3	कांकेर	कांकेर	13	दुर्ग	दुर्ग
4	नगरी	धमतरी	14	बेमेतरा	बेमेतरा
5	दंतेवाडा	दंतेवाडा	15	जशपुर	जशपुर
6	कबीरधाम	कबीरधाम	16	महासमुंद	महासमुंद
7	नारायणपुर	नारायणपुर	17	रायपुर	रायपुर
8	बस्तर	बस्तर	18	कोरिया	कोरिया
9	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	19	बीजापुर	बीजापुर
10	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई			

डाईट के कार्य, उद्देश्य और प्रशिक्षण किस स्तर के लोगों को दी जाती है

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET - District Institute of Education and Training) का उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

DIET के प्रमुख कार्य:

**1. प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण (Teacher Training)**

• **पूर्व-सेवा प्रशिक्षण (Pre-service):**

- D.El.Ed (Diploma in Elementary Education) पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का दो वर्षीय प्रशिक्षण।

• **सेवारत प्रशिक्षण (In-service):**

- कार्यरत शिक्षकों के लिए नवीन शैक्षिक नीतियों, शिक्षण विधियों, ICT, समावेशी शिक्षा, FLN आदि विषयों पर नियमित प्रशिक्षण।

**2. शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार (Research and Innovation)**

- स्थानीय शिक्षा संबंधी समस्याओं की पहचान और समाधान हेतु लघु अनुसंधान कार्य।
- नवीन शिक्षण विधियों और नवाचारों को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें विद्यालयों में लागू कराना।

**3. विद्यालयों को शैक्षिक सहायता (Academic Support to Schools)**

- BRC (Block Resource Centre) और CRC (Cluster Resource Centre) के माध्यम से विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना।
- शिक्षकों की कक्षा-शिक्षण में सहायता करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

**4. शैक्षिक सामग्री का विकास (Development of TLM and Resources)**

- शिक्षक-अभिप्रेरित शिक्षण सामग्री (TLM – Teaching Learning Material), कार्यपुस्तिका, प्रश्न बैंक, मूल्यांकन उपकरण आदि का निर्माण।
- राज्य/राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (SCERT/NCERT) के साथ समन्वय करके सामग्री विकसित करना।

**5. मूल्यांकन और निगरानी (Monitoring & Evaluation)**

- स्कूलों में अधिगम स्तर, पाठ्यपुस्तक उपयोग, शिक्षण पद्धतियों आदि की निगरानी।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन।

**6. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT in Education)**

- शिक्षकों और छात्रों को ICT के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना।
- स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना।

**7. FLN एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन**

- NIPUN भारत, समग्र शिक्षा अभियान, NEP-2020, बालवाटिका, शिक्षक पर्व आदि के जिला स्तरीय क्रियान्वयन में भागीदारी।
- DIKSHA, NISHTHA, जैसे पोर्टलों का प्रचार-प्रसार

**डाईट के सेटअप, रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी ?**

क्रमांक	संस्था	पद का प्रकार	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (19)	अकादमिक	361	232	129
		कार्यालयीन	418	269	149
<b>योग</b>			<b>779</b>	<b>501</b>	<b>278</b>

**8. प्रचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां हैं और कहां-कहां होने चाहिए ? कितनी क्षमता के संस्थानों की आवश्यकता होती है और कितनी क्षमता के हैं? चारों संस्थाओं के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम की जानकारी ?**

बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर एवं डोंगरगाँव में है। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान को डाईट में उन्नयन किया जाना है, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर एवं डोंगरगाँव को क्रमशः डाईट बिलासपुर एवं डाईट राजनांदगाँव में उन्नयन प्रक्रियाधीन है। डाईट की क्षमता 100 छात्र प्रतिवर्ष की है। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाती है। डाईट में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

**बी.टी.आई .(बेसिक ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट) :**

मुख्य कार्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत डी..एल.एड. पाठ्यक्रम का संचालन करना है।